बिहार राज्य गैर-सरकारी संस्कृत उच्च विद्यालय (सेवाशर्त) नियमावली, 1976

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

20 नवम्बर 1976

विषय—बिहार राज्य के अराजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवा-शर्त्त नियमावली का अनुमोदन ।

सं० आई०/स 9-01/76—2456-शि०—राज्य-सरकार ने बिहार राज्य के अराजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवा शर्त्त नियमावली, जो संस्कृत शिक्षा परिषद्, बिहार द्वारा तैयार कर शासन के अनुमोदन हेतु भेजी गई थी, को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकृत किया है ।

यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी ।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस नियमावली को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

भास्कर बनर्जी, विशेष सचिव ।

अध्याय—1

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली बिहार राज्य गैर-सरकारी संस्कृत उच्च विद्यालय (सेवा शर्त्त) नियमावली, 1976 कही जायगी ।

(2) यह शासकीय राजपत्र (गजट) में प्रकाशित तिथि से प्रवृत्त होगी ।

अध्याय—2

परिभाषाएं—

(क) "नियमावली" से अभिप्रेत है बिहार राज्य गैर-सरकारी संस्कृत उच्च विद्यालय सेवाशर्त्त नियमावली, 1976 ।

(ख) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष ।

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है नियमावली में अंकित संबंधित पदाधिकारी ।

(घ) "परिषद्" से अभिप्रेत है बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् ।

(ङ) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार, शिक्षा विभाग।

(च) "विद्यालय" से अभिप्रेत है राज्य-सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा प्रस्वीकृत बिहार राज्य अराजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय।

(छ) "समिति" से अभिप्रेत है विद्यालय की प्रबन्ध समिति।

(ज) "प्रधानाध्यापक" से अभिप्रेत है संस्कृत उच्च विद्यालय के प्रधान के रूप में नियुक्त व्यक्ति।

(झ) "सहायक शिक्षक" से अभिप्रेत है ऐसा शिक्षक जो प्रधानाध्यापक नहीं हो।

(ट) "शिक्षकेतर कर्मचारी" से अभिप्रेत है लिपिक, कर्मचारी या तत्सम कर्मचारी।

(ठ) "अस्थायी नियुक्ति" से अभिप्रेत है किसी सीमित अवधि के लिए की गई नियुक्ति।

अध्याय—3

गैर-सरकारी संस्कृत उच्च विद्यालयों के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, अर्हता और सेवा-शर्त्तें।

1. नियुक्ति, अर्हता, सेवा-शर्त्तें और अनुशासनिक कार्यवाही—विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों में प्रोन्नति देकर की गई नियुक्तियों से भिन्न सभी नियुक्तियाँ राज्य के कम-से-कम एक मुख्य हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में सम्यक् विज्ञापन निकालने के बाद की जायगी। किन्तु, अधिकतम तीन महीने की नितांत अल्पकालीन नियुक्तियाँ स्थानीय रूप से विज्ञापन निकालकर की जा सकेंगी।

2. जब कभी प्रधानाध्यापक या सहायक शिक्षक के किसी पद को भरना हो तब समिति यह विनिश्चित करेगी कि पद को विद्यालय के अर्हता-प्राप्त वर्त्तमान शिक्षकों में से प्रोन्नति देकर भरा जाय या विज्ञापन के द्वारा।

3. विद्यालय विज्ञापन के प्रारूप पर सचिव, संस्कृत शिक्षा परिषद् का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेगा। इस प्रारूप में अन्य बातों के साथ-साथ विज्ञापित पद का नाम और प्रकार, अपेक्षित अर्हताएँ, उपलब्धियाँ और अन्य संबंधित विशिष्टियाँ विनिर्दिष्ट रहेंगी।

4. समिति कम-से-कम एक पखवारे की नोटिस देकर साक्षात्कार के लिये ऐसे प्रत्याशियों को बुलायेगी जो अर्हता प्राप्त हो। साक्षात्कार के लिये इस प्रकार बुलाये गये प्रत्याशियों का साक्षात्कार, समुचित तिथि को इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से बुलायी गयी साधारण बैठक में, समिति के सदस्य करेंगे।

समिति, साक्षात्कार की तिथि की पूर्व सूचना सचिव, संस्कृत शिक्षा परिषद् को देगी। यदि सचिव, संस्कृत शिक्षा परिषद् उचित समझेंगे तो साक्षात्कार के के लिये बुलायी गयी बैठक में विशेषज्ञ को भेज सकते हैं।

5. यदि प्रत्याशी, प्रधानाध्यापक या समिति के किसी सदस्य का संबंधी हो तो प्रधानाध्यापक या ऐसे सदस्य साक्षात्कार के पहले समिति को वास्तविक संबंध की सूचना देगा और साक्षात्कार की बैठक में भाग नहीं लेगा।

6. समिति भरे जानेवाले प्रत्येक पद के लिये, साक्षात्कार किये गये प्रत्याशियों में से तीन सर्वोत्तम प्रत्याशियों की नामिका (पैनल) अधिमानता-क्रम से तैयार करेगी और चयन का कारण देगी। समिति साक्षात्कार के एक सप्ताह के भीतर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ तीन नामों वाली यह नामिका सहायक शिक्षक के मामले में, सचिव, संस्कृत शिक्षा परिषद् को तथा प्रधानाध्यापक के मामले में, अध्यक्ष, संस्कृत शिक्षा परिषद् को अनुमोदन के लिये भेज देगी :—

(क) विज्ञापन की एक प्रति, (ख) साक्षात्कार के समय सचिव के द्वारा किये गये विनिश्चय से सम्बद्ध संकल्प की एक प्रति, (ग) सारणीबद्ध विवरण, जिसमें सभी आवेदकों के नाम, अर्हताएँ और अन्य विशिष्टयां दी रहें, (घ) सभी आवेदकों के मूल आवेदन तथा प्रशंसा-पत्र और अनुलग्नक।

7. सचिव/अध्यक्ष, संस्कृत शिक्षा परिषद् समिति की अनुशंसाओं की जाँच करे और समिति की अनुशंसाओं को अनुमोदित या अन-अनुमोदित अथवा अधिमानता-क्रम में हेर-फेर करके उसे उपान्तरित कर, समिति के पास उत्तर भेज देंगे। जब अध्यक्ष/सचिव, संस्कृत शिक्षा परिषद् समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन या उपान्तरण करे तब ऐसा करने का लिखित कारण संसूचित किया जायगा।

8. सचिव/अध्यक्ष, संस्कृत शिक्षा परिषद् समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर एक मास के भीतर समिति को अपना विनिश्चय संसूचित करेंगे। यदि इस अवधि में विनिश्चय की सूचना न मिले तो एक निबंधित स्मार सचिव/अध्यक्ष, संस्कृत शिक्षा परिषद् एतदर्थ समिति को भेजेगी और उसके पन्द्रह दिनों के भीतर प्राधिकारी की समुचित राय या आदेश संसूचित नहीं किया गया तो यह समझा जायगा कि समिति की अनुशंसा अनुमोदित कर दी गयी।

9. यदि समिति सचिव/अध्यक्ष, संस्कृत शिक्षा परिषद् के विनिश्चय से व्यथित हो, तो उसे आदेश प्राप्ति की तिथि से एक पखवारे के भीतर क्रमश: अध्यक्ष/सरकार के पास अपील करने का अधिकार होगा। अपील पर अध्यक्ष/सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा और समिति इसे कार्यरूप देगी।

10. जब कभी समिति किसी पद को अपने ही शिक्षकों के बीच से प्रोन्नति देकर भरने का विनिश्चय करे तब वह, इस प्रयोजनार्थ, विशेष रूप से बुलाई गई साधारण बैठक में सभी पात्र शिक्षकों के मामले पर विचार करेगी। इसके बाद अनुमोदित उम्मीदवारों की नामिका तैयार करने और सचिव/अध्यक्ष, संस्कृत शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा सचिव/अध्यक्ष, संस्कृत शिक्षा परिषद् के विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने से संबंधित उपबन्ध वही होंगे जो विज्ञापन द्वारा उम्मीदवारों के चयन और नियुक्ति के संबंध में है।

11. प्रधानाध्यापक पद के प्राथियों को संस्कृत उच्च विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले संस्कृत विषयों में से किसी एक विषय में कम-से-कम उच्च द्वितीय श्रेणी में आचार्य परीक्षोत्तीर्ण तथा किसी प्रस्वीकृत विद्यालय या हाई स्कूल में कम-से-कम 10 वर्षों के अध्यापन का अनुभव होना आवश्यक है अथवा पढ़ाये जानेवाले किसी एक संस्कृत विषय में प्राचीन आचार्य के साथ संस्कृत ऑनर्स के साथ बी० ए० या संस्कृत में एम० ए० अथवा पढ़ाये जानेवाले संस्कृत विषयों में से किसी एक विषय में (अंग्रेजी के साथ) उत्तीर्ण नवीनाचार्य के लिये किसी प्रास्वीकृत विद्यालय या हाई स्कूल में कम-से-कम 10 वर्षों के अध्यापन का अनुभव आवश्यक है। प्रशिक्षित प्राथियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

संस्कृत शिक्षण एवं प्रशासन संबंधी विशेषानुभव प्राप्त विद्वानों के लिये विशेष विचार किया जा सकता है।

प्रधानाध्यापक पद के लिये उक्त अधिकथित न्यूनतम योग्यता से उच्चतर योग्यतावाले व्यक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न सर्वथा वांछनीय होगा।

12. संस्कृत उच्च विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता संस्कृत विषयों के लिये आचार्य तथा आधुनिक विषयों के लिये स्नातक या अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण नवीन शास्त्री परीक्षा होगी। योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों को प्राथमिकता दी जायगी।

13. संगीत और शिल्प शिक्षकों के मामले में पदधारी से आवश्यक विशेषज्ञीय अर्हता की अपेक्षा की जायेगी। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक की स्थिति में, उसे या तो शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा सहित स्नातक होना चाहिए या इससे कम अर्हता का ऐसा व्यक्ति जिसे "शारीरिक शिक्षा" का प्रमाण-पत्र हो।

14. किसी भी व्यक्ति को तबतक शिक्षक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह 21 (इक्कीस) वर्ष का न हो।

15. नियुक्ति, यदि यह अस्थायी न हो, प्रारंभ में दो वर्षों की अवधि के लिये परिवीक्षा पर की जायेगी और परीक्ष्यमान नियुक्ति केवल स्थायी रिक्ति में ही की जायेगी।

16. यदि परीक्ष्यमान व्यक्ति का कार्य और आचरण परिवीक्षा की अवधि में संतोषप्रद पाया जाय तो समिति उसे दो वर्षों की अवधि के अंत में संपुष्ट कर देगी। यदि समिति की राय में सम्बद्ध व्यक्ति का कार्य और आचरण संतोषप्रद नहीं हो तो परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पहले समिति यह विनिश्चय करेगी कि परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी जाय या सेवा समाप्त कर दी जाय।

17. यदि समिति परिवीक्षा एक वर्ष और बढ़ाने का विनिश्चय करे तो शिक्षक को विनिश्चय लिखित रूप में संसूचित कर दिया जायगा। दूसरी ओर यदि समिति दो वर्ष की प्रारम्भिक परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी सेवा समाप्त करने का विनिश्चय करे तो समिति सचिव/अध्यक्ष, संस्कृत शिक्षा परिषद्, जिसे पूरे तथ्य और औचित्य का प्रतिवेदन भेजा जायेगा, पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही ऐसा करेगी।

18. यदि दो वर्षों की अवधि समाप्त होने के पहले, दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि न तो बढ़ाने और न परिवीक्ष्यमान व्यक्ति की सेवा समाप्त करने का ही कोई विनिश्चय किया जाय, अथवा यदि परिवीक्षा अवधि एक वर्ष और बढ़ायी जाय तो तीसरा वर्ष समाप्त होने के पहले नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कोई संपुष्टि आदेश निर्गत न किये जाने पर भी, पदधारी स्वतः संपुष्ट किया गया समझा जायेगा।

19. अस्थायी नियुक्ति नितान्त अस्थायी पदों पर या जब स्थायी पदधारी अस्थायी रूप से विनिर्दिष्ट अवधि के लिये अनुपस्थित हो तब स्थायी पदों पर की जायेगी। समिति स्थानीय रूप से विज्ञापन करने के बाद अधिक-से-अधिक तीन महीने के लिये अस्थायी नियुक्ति कर सकेगी और ऐसे मामलों में सचिव/अध्यक्ष, संस्कृत शिक्षा परिषद् का पूर्व अनुमोदन आवश्यक नहीं है। इन नियम के अधीन नियुक्त व्यक्तियों को किसी भी स्थिति में तीन महीने की अवधि के बाद काम नहीं करने दिया जायेगा।

20. शिक्षक 62 वर्ष की उम्र हो जाने पर स्वतः सेवानिवृत्त हो जायेगा। परन्तु, बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् स्वयं या सचिव, शिक्षा परिषद् के माध्यम से समिति द्वारा, या सीधे सचिव/अध्यक्ष द्वारा निर्देश किये जाने पर यथोचित जाँच करने और संबद्ध शिक्षक की सुनवाई करने का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद आदेश दे सकेगा कि 60 वर्ष की उम्र प्राप्त करने के बाद शिक्षक को किसी भी समय अस्वस्थता या अदक्षता के आधार पर या जब परिषद् की राय में उसे सेवा में रखना विद्यालय के हित में न हो तब सेवानिवृत्त कराया जाय और परिषद् द्वारा दिया गया यह आदेश अंतिम और समिति के लिये आबद्धकर होगा।

21. राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक तथा संस्कृत विषय पढ़ानेवाले विद्वान साधारणतः 65 वर्ष की उम्र होने पर सेवानिवृत्त होंगे परंतु परिषद् स्वयं या सचिव/अध्यक्ष, संस्कृत शिक्षा परिषद् के माध्यम से समिति द्वारा या सीधे सचिव/अध्यक्ष द्वारा निर्देश किये जाने पर, यथोचित जाँच करने और शिक्षक की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद आदेश पारित कर सकेगा कि ऐसा शिक्षक 62 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेने पर किसी भी समय अस्वस्थता या अदक्षता के आधार पर अथवा जब परिषद् की राय में उसे सेवा में रखना विद्यालय के हित में न हो तब सेवानिवृत्त हो जाय और परिषद् द्वारा दिया गया यह आदेश अंतिम और समिति के लिए आबद्धकर होगा।

22. समिति विद्यालय के परिवीक्ष्यमान व्यक्ति सहित किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित कोई भी दंड दे सकेगी :—

(क) छोटा-मोटा दंड—

(*i*) चेतावनी।

(*ii*) परिनिन्दा (सेन्सर)।

(ख) बड़ा दंड—

(*i*) वेतनवृद्धि की रोक।

(*ii*) पदावनति।

(*iii*) सेवोन्मुक्ति।

(*iv*) पदच्युति।

23. समिति संबद्ध व्यक्ति को अपने आचरण के संबंध में सम्यक् रूप से लिखित स्पष्टीकरण देने का अवसर दे सकेगा और उसमें समिति का निर्णय अंतिम होगा।

24. किसी प्रकार कोई बड़ा दंड देने से पूर्व सहायक शिक्षक के मामले में प्रधानाध्यापक तथा प्रधानाध्यापक के मामले में समिति के अध्यक्ष और सचिव के द्वारा सविस्तार आरोप-पत्र तैयार किया जायगा और समिति संकल्प के द्वारा उस पर निर्णय लेगा। इस प्रकार विरचित आरोप विनिर्दिष्ट होंगे और उसमें सभी सुसंगत तथ्य दिये रहेंगे ताकि संबद्ध व्यक्ति को साफ-साफ समझ में आ जाय कि इसपर कौन-कौन-से आरोप लगाये गये हैं। जहाँ प्रथमद्रष्टया आरोप बहुत गंभीर हो और समिति महसूस करे कि—

(क) ऐसे व्यक्ति को विद्यालय की सेवा में बने रहना विद्यालय के अनुशासन और सामान्य भलाई की दृष्टि से अहितकर होगा।

या

(ख) संबद्ध व्यक्ति विद्यालय अभिलेख में उलट-फेर अथवा तोड़-मरोड़ कर सकता है अथवा विद्यालय की संपत्ति या साज-समान को अन्य नुकसान पहुंचा सकता है, तो समिति, विशेष संकल्प के द्वारा ऐसे व्यक्ति को निलंबित करने का विनिश्चय कर सकेगा।

25. जिस व्यक्ति पर कार्यवाही चलायी जाय उसे अपने ऊपर लगाये गये आरोप, उप-धारा (24) के अधीन अपने निलंबन के एक सप्ताह के भीतर, लिखित रूप से दिये जायेंगे और उसे आरोप-पत्र की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देना होगा। स्पष्टीकरण की प्राप्ति की तारीख से एक पखवारे के भीतर समिति की बैठक बुलायी जायगी और जिसके लिये, हरेक सदस्य को, रजिस्ट्रीकृत डाक या विशेष दूत द्वारा पूरे दस दिनों की नोटिस दी जायेगी। इस बैठक में वर्त्तमान सदस्यों की कुल संख्या की दो-तिहाई सदस्यों का कोरम होगा। यदि प्रधानाध्यापक या समिति में शिक्षक या प्रतिनिधि स्वयं आरोप से संबद्ध हो तो वह ऐसी बैठक में उपस्थित नहीं रहेगा।

26. अध्यक्ष/सचिव, संस्कृत शिक्षा परिषद् की सहमति के बिना कोई प्रधानाध्यापक/शिक्षक तीन महीने से अधिक अवधि के लिये निलंबित न किया जायगा। प्रधानाध्यापक के मामले में अध्यक्ष, संस्कृत शिक्षा परिषद् की अनुमति के बिना निलंबन आदेश लागू नहीं होगा। निलंबन की अवधि में उसे जीवन-

निर्वाह भत्ता जो उसके मासिक वेतन का आधा होगा और जीवन-यापन भत्ता जो निर्वाह भत्ते के रूप में प्राप्त वेतन अनुपात में होगा दिया जायगा।

27. संबद्ध व्यक्ति के स्पष्टीकरण पर सम्यक् विचार करने और अनुरोध किये जाने पर उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद, समिति, उप-नियम (32) में विनिर्दिष्ट कोई बड़ा दंड देने या आरोपों से विमुक्त करने का विनिश्चय कर सकेगा। अभियुक्त के आरोपों से विमुक्त किये जाने की स्थिति में निलंबन की अवधि, कर्त्तव्यस्थ अवधि मानी जायगी और उस अवधि का पूरा वेतन और भत्ता दिया जायगा। यदि समिति, बड़े दंडों में से कोई दंड देने का विनिश्चय करे तो वह इस बात का भी विनिर्दिष्ट विनिश्चय करेगी कि निलंबन की अवधि कर्त्तव्यस्थ अवधि मानी जायगी या नहीं।

28. ऐसे सभी मामले में, जिनके समिति चार बड़े दंडों में से कोई दंड देने का विनिश्चय करे, ऐसा दंड वास्तव में कार्यान्वित किये जाने के पहले, कार्यवाही के सभी अभिलेख और व्याख्यात्मक अग्रपत्र बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् के पास भेजे जायेंगे। समिति के निर्णय से व्यथित व्यक्ति पन्द्रह दिनों के भीतर बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् के पास अपील कर सकेगा।

29. पुनर्विचार समिति में कामेश्वर सिंह, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव दरभंगा बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् के सचिव एवं संबंधित जिले के गैर-सरकारी उच्च विद्यालय के एक-एक प्रधानाध्यापक, ये तीन व्यक्ति रहेंगे। ऐसी समिति की बैठक सचिव, संस्कृत शिक्षा परिषद् के कार्यालय में होगी। यह समिति दोनों पक्ष की बातों को सुनकर अपना निर्णय देगी, जो मान्य होगा। उक्त निर्णय से व्यथित व्यक्ति पन्द्रह दिनों के भीतर अध्यक्ष, बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् के पास अपील कर सकेगा और वह निर्णय अंतिम माना जायगा।

30. किसी व्यक्ति की सेवा समाप्त किया जाना निम्न स्थिति में बड़े दंड की कोटि में नहीं आयगा :—

(क) परिवीक्षा अवधि में,

(ख) उस अवधि में जिसमें वह नितान्त अस्थायी पद धारण करता हो।

अध्याय—4

संस्कृत उच्च विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति, अर्हता, सेवाशर्त्त और अनुशासनिक कार्यवाही।

1. समिति विद्यालय के शिक्षणेतर पदों पर सभी नियुक्तियां पदों को स्थानीय रूप से विज्ञापित करने के बाद करेगी। समिति पद के कर्त्तव्यों को ध्यान में रखते हुए, हर पद की ऐसी अर्हता विहित करेगा, जो वह आवश्यक समझे।

परन्तु, लिपिक पद की अर्हता मध्यमा या तत्समकक्ष परीक्षा से कम नहीं होगी। टंकण की योग्यता विशेष योग्यता मानी जायगी।

2. किसी शिक्षणेतर पद पर नियुक्ति, जबतक कि वह अस्थायी न हो, तब

तक प्रारंभ में दो वर्षों के लिये परिवीक्ष्यमान आधार पर की जायेगी। परन्तु, परिवीक्ष्यमान नियुक्ति केवल स्थायी रिक्ति में ही की जायेगी।

शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति में प्रधानाध्यापक की अनुशंसा को प्राथमिकता दी जायेगी। शिक्षणेतर पदों पर की गई सभी प्रकार की नियुक्तियों की सूचना पूरे विवरण के साथ समिति सचिव, संस्कृत शिक्षा परिषद् को दस दिनों के भीतर भेज देगी।

3. शिक्षणेतर स्थायी पद पर परिवीक्ष्यमान रूप से नियुक्त व्यक्ति दो वर्षों की परिवीक्ष्यमान अवधि समाप्त होने पर संपुष्ट कर दिया जायगा, यदि विशिष्ट कारणों से समिति के संकल्प द्वारा यह अवधि और भी एक वर्ष के लिये न बढ़ा दी जाय या संपुष्टि रोक न रखी जाय।

4. किसी शिक्षणेतर पद पर नियुक्त व्यक्ति बासठ वर्ष प्राप्त कर लेने पर सेवा-निवृत्त हो जायगा :

परन्तु समिति संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर साठ वर्ष की उम्र के बाद किसी भी समय अस्वस्थता या अदक्षता के आधार पर या जब उसे सेवा में रखना विद्यालय के हित में न हो, सेवा से निवृत्त करने का आदेश पारित कर सकेगी।

5. समिति, शिक्षकेतर किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने और अध्याय 3 के नियम (22) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक छोटे-मोटे या बड़े दंड देने में सक्षम होगी।

परन्तु, दंड देने के पूर्व, कर्मचारी को अपने मामले के संबंध में स्पष्टीकरण देने का उचित अवसर दिया जायगा। इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। निर्णय के समय समिति प्रधानाध्यापक की राय को प्रमुखता देगी।

अध्याय—5

अवकाश

विद्यालयों में नियतावकाश के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकार के अवकाश होंगे :—

आकस्मिक अवकाश, अर्जितावकाश, कर्त्तव्यावकाश, अध्ययनावकाश, ग्रहणावकाश, संक्रामक रोगावकाश।

1. **आकस्मिक अवकाश** :—प्रत्येक पंचांग वर्ष में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिये समान रूप से सोलह दिन आकस्मिक अवकाश के होंगे। प्रधानाध्यापक के द्वारा लिये जानेवाले अवकाश को समिति के सचिव तथा अन्य शिक्षकों एवं कर्मचारियों के द्वारा लिये जानेवाले अवकाश को विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्वीकृत करेंगे। एक बार में यह अवकाश अधिकतम सात दिनों तक दिया जा सकेगा जो मासिक अनुपात को ध्यान में रखकर दिया जायगा।

आकस्मिक अवकाश में पड़नेवाले नियतावकाश के दिन अवकाश के अंश के रूप में नहीं गिने जायेंगे।

2. **अर्जितावकाश** :—(क) पूरे पंचांग वर्ष की कार्यावधि में प्रतिवर्ष प्रत्येक शिक्षक और कर्मचारी पूर्ण वेतन पर तीन दिन यह अवकाश अर्जित करेगा। यह अवकाश तीन वर्षों से कम की सेवा पर अनुमान्य नहीं होगा। यह अवकाश 120 दिनों के अधिक अर्जित होने पर व्ययगत समझा जायगा।

(ख) पूरे पंचांग वर्ष की कार्यावधि में प्रतिवर्ष प्रधानाध्यापक या अन्य शिक्षक अर्द्धवेतन पर बीस दिनों का अवकाश अर्जित करेगा। यह अवकाश व्ययगत नहीं होगा।

यह अवकाश प्रधानाध्यापक या शिक्षक के स्वयं रुग्णता-प्रमाण-पत्र के आधार पर अर्द्धवेतन के स्थान पर पूर्ण वैतनिक रूप में रूपान्तरित किया जा सकेगा जो उक्त अवकाश का आधा होगा।

(ग) शिक्षणेतर कर्मचारियों की स्थिति में यह अवकाश पूरे पंचांग वर्ष की कार्यावधि में प्रतिवर्ष छः दिन अर्द्धवैतनिक पर अर्जित किया जा सकेगा और अध्याय 5 के नियम 2(ख) में विनिर्दिष्ट नियम के अनुसार पूर्ण वेतन पर रूपान्तरित किया जा सकेगा जो उक्त छुट्टी का आधा होगा।

3. **कर्त्तव्यावकाश** :—किसी भी विश्वविद्यालय या शिक्षा परिषद् से सम्बन्धित कार्य में, जहाँ पारिश्रमिक उपलब्ध होता है; भाग लेने की स्थिति में प्रधानाध्यापक या शिक्षकों को पूरे पंचांग वर्ष में अधिकतम पन्द्रह दिनों का कर्त्तव्यावकाश दिया जा सकेगा।

4. **अध्यापनावकाश** :—विद्यालय के प्रधानाध्यापक या शिक्षक जो संपुष्ट हो अपने पूरे सेवा काल में उच्च अध्ययन के लिये तीन वर्षों तक अवैतनिक रूप में अध्ययनावकाश ले सकेगा और इस अवकाश के कारण सम्बन्धित व्यक्ति की सेवा सम्बन्धी सुविधाओं में कोई बाधा नहीं होगी।

5. **ग्रहणाधिकार अवकाश** :—किसी विद्यालय का प्रधानाध्यापक या शिक्षक, अगर वह संपुष्ट हो तो अन्य सेवा में उचित स्रोत के द्वारा आवेदन-पत्र भेजे जाने के बाद यदि नियुक्त हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्षों तक वह अपने पद पर ग्रहणाधिकार अवकाश का अधिकारी होगा।

आकस्मिक अवकाश को छोड़कर, अन्य किसी भी प्रकार के एक मास से अधिक के अवकाश की स्थिति में रिक्त स्थान पर अस्थायी नियुक्ति की व्यवस्था की जा सकेगी।

6. **संक्रामक रोगावकाश** :—(क) जिस घर में शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी वस्तुतः रहता हो उसमें संक्रामक रोग हो जाने के परिणामस्वरूप कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहा जा सकेगा।

(ख) संक्रामक रोगावकाश, आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने में सचिव, संस्कृत शिक्षा परिषद्, बिहार द्वारा चिकित्सा पदाधिकारी या लोक-स्वास्थ्य

पदाधिकारी के प्रमाण-पत्र पर अधिक-से-अधिक 21 दिनों के लिये स्वीकृत किया जा सकेगा। इस प्रयोजन के लिये इस अवधि में अधिक आवश्यक छुट्टी साधारण छुट्टी मानी जायगी।

(ग) आवश्यकता पड़ने पर संक्रामक रोगावकाश उल्लिखित अधिक सीमा के अधीन अन्य अवकाश के क्रम में दिया जा सकेगा।

(घ) संक्रामक रोगावकाश पर गया व्यक्ति कर्त्तव्य पर अनुपस्थित नहीं माना जायगा और उसका वेतन नहीं रोका जायगा।

(ङ) इस अवकाश के प्रयोजनार्थ हैजा, चेचक, प्लेग, डिप्थेरिया, टाइफायड, ज्वर तथा सेरिब्रोस्पाइनल-मेनजाइटिस संक्रामक रोग माने जायेंगे।

छोटी माता (चिकिन पॉक्स) की दशा में संक्रामक रोगावकाश तब तक न दिया जायगा जब तक कि उस क्षेत्र का स्वास्थ्य पदाधिकारी यह न समझता हो कि चूँकि इस रोग का वास्तविक स्वरूप संदिग्ध है इसलिये छुट्टी देने का औचित्य है।

अध्याय—6

प्रकीर्ण

1. **दीर्घावकाश में प्रभार** :—विद्यालय के दीर्घावकाश में प्रधानाध्यापक किसी अध्यापक को प्रभारी बना सकता है। प्रभारी अध्यापक को अवकाश की पूरी अवधि का तृतीयांश अवकाश पूर्ण वेतन पर अर्जित अवकाश के रूप में दिया जा सकेगा। दीर्घावकाश में यदि प्रधानाध्यापक स्वयं उपस्थित रहा हो तो उसे कोई अवकाश अनुमान्य नहीं होगा।

2. **सेवा-पुस्तिका** :—प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिका रखी जाय। प्रधानाध्यापक की सेवा-पुस्तिका समिति के सचिव एवं सहायक शिक्षकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिका प्रधानाध्यापक के द्वारा अभिप्रमाणित की जायेगी और सेवा-पुस्तिका का सत्यापन सचिव, संस्कृत शिक्षा परिषद् करेगा।

3. **वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति** :—विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक और कर्मचारी की गोपनीय चरित्र-पुस्तिका रखी जायेगी। इसमें वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति प्रतिवर्ष शिक्षा सत्र के अन्त में दर्ज की जायेगी। यह पुस्तिका प्रधानाध्यापक की स्थिति में विद्यालय के सचिव एवं सहायक शिक्षा निदेशक (संस्कृत) और शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की स्थिति में प्रधानाध्यापक लिखेगा। प्रधानाध्यापक की स्थिति में विद्यालय के सचिव प्रधानाध्यापक की गोपनीय चरित्र-पुस्तिका लिखकर सहायक शिक्षा निदेशक (संस्कृत) के यहाँ भेज देंगे जो अपनी अभ्युक्ति उसपर दर्ज करेंगे।

यदि किसी विशेष वर्ष में किसी प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी के कार्य के सम्बन्ध में प्रतिकूल अभ्युक्ति दर्ज की गई हो तो उसका

सुसंगत उदाहरण अगले सत्रारम्भ के तीन महीने के भीतर, सम्बद्ध व्यक्ति को संसूचित किया जायेगा।

शिक्षणेतर कर्मचारियों के अतिरिक्त यदि प्रधानाध्यापक या सहायक शिक्षक यह महसूस करे कि ऐसी प्रतिकूल अभ्युक्ति तथ्यों पर आधारित नहीं है तो प्रधानाध्यापक की स्थिति में अध्यक्ष, बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् और अन्य की स्थिति में समिति के पास अपील की जा सकेगी। अध्यक्ष, संस्कृत शिक्षा परिषद् या समिति पूर्ण तथ्य अवगत होने के बाद अपना अन्तिम विनिश्चय देगी और अपील को या तो अस्वीकृत कर या पूर्ण या आंशिक अभ्युक्ति हटाकर समुचित संशोधन करने का निदेश देगी और उक्त निदेश दोनों पक्षों के लिये आबद्धकर होगा।

4. **विद्यालय प्रबंध समिति** :—विद्यालय प्रबन्ध समिति बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् के नियमों के अधीन गठित होगी।

5. अवकाश लेखन के लिये अनुसूची प्रपत्र 'क', छुट्टी के आवेदन के लिये प्रपत्र 'ख', गोपनीय चरित्र-पुस्तिका के लिये प्रपत्र 'ग' तथा सेवा-पुस्तिका के लिये प्रपत्र 'घ' के अनुसार प्रधानाध्यापक सहित प्रत्येक शिक्षक और कर्मचारी के विवरण का उल्लेख आवश्यक होगा। 'क' से 'घ' तक सभी प्रपत्र अनुसूची में संलग्न हैं।

फारम (ख)।

छुट्टी आवेदन का फारम।

(मद 1 से 7 तक आवेदकों को भरना है)

---

(1) आवेदक का नाम ... ...

(2) धारित पद ... ...

(3) विद्यालय का नाम ... ...

(4) वेतन... ... ...

(5) आवेदित छुट्टी का प्रकार और अवधि
(छुट्टी किस तारीख से अपेक्षित है)

(6) किस आधार पर छुट्टी के लिए
आवेदन किया गया है

(7) पिछली छुट्टी से लौटने की तारीख,
छुट्टी का प्रकार और अवधि

तारीख — आवेदक का हस्ताक्षर

(8) नियंत्रण पदाधिकारी की अभ्युक्ति
और/अथवा सिफारिश

तारीख हस्ताक्षर और पदनाम

(9) इस आवेदन के पूर्व आवेदक के
स्वीकृत छुट्टी का विवरण—

छुट्टी का प्रकार	चालू वर्ष में	पिछले वर्ष में	कुल
(1) आकस्मिक छुट्टी	...	...	
(2) अन्य प्रकार की छुट्टी—			
(क) औसत वेतन पर	...	...	
(ख) आधे औसत वेतन पर	...	...	
(ग) चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर औसत वेतन पर			
(घ) चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर आधे औसत वेतन पर			
(ङ) साधारण छुट्टी	...	...	
कुल	...	...	

(10) प्रमाणित किया जाता है कि अराजकीय संस्कृत उच्च विद्यालयों पर लागू छुट्टी नियमावली के अधीन

तारीख... ...से तारीख... ...तक औसत वेतन पर... ...मास और... ... ...दिनों की छुट्टी अनुज्ञेय है

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर और पदनाम।

फारम (ग)।

बिहार के गैर-सरकारी संस्कृत उच्च विद्यालयों के शिक्षकों के वार्षिक गोपनीय अभिलेखों के लिये फारम।

(नियम 10 देखें)

(1) रिपोर्ट की अवधि ... ... तारीख ... ...से... ...तक।

(2) पूरा नाम (साफ अक्षरों में)......

(3) अर्हताएँ—

(*i*) शैक्षिक ... ...

(*ii*) व्यावसायिक प्रशिक्षण ...

(iii) यदि कोई विशेष अर्हता हो तो उसका उल्लेख करें (इसमें विभागीय परीक्षा भी शामिल है)

(4) धारित पद ... ...

(5) अधिष्ठायी नियुक्ति की तारीख ... ...

(6) वर्त्तमान वेतन ... ...

(7) जन्म की तारीख तथा वर्ष के 31 मार्च की आयु ... ...

(8) सेवा की कुल अवधि ... ...

(9) समवित—

(क) व्यक्तित्वशील स्वभाव और देह दशा ...

(ख) वर्ग को नियंत्रित करने तथा अनुशासन बनाये रखने की क्षमता

(ग) छात्रों के आवास और उनके कल्याण के विषय में रुचि तथा समुदाय के साथ उनका आचरण

(घ) उपस्थिति के संबंध में समया निष्ठता ... ...

(10) शिक्षक के कार्यों का वर्णन, जैसे किन-किन वर्गों में कौन-कौन विषय पढ़ाते हैं। इसका ब्योरा। क्या वे अपना काम भली-भाँति सँभाल सकते हैं। परीक्षाफल से यह कैसा झलकता है।

(11) क्या वर्ग कार्य की तैयारी के लिये पाठ टिप्पणी नियमित रूप से लिखाने और स्वाध्याय करने की आदत है और क्या वे पुस्तकालय का उपयोग करते हैं ?

(12) यदि वे प्रशासनिक ढंग का पद धारण या कर्त्तव्य करते हों तो क्या वे अभिलेखों को भली-भाँति अनुरक्षित और अद्यतन रखते हैं ?

(13) क्या ये अपने स्टाफ से सहयोग प्राप्त करने या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने में समर्थ हैं ?

(14) क्या इन्हें अपने वर्त्तमान कार्य के प्रति विशेष अभिरुचि है ? क्या ये उच्चतर उत्तरदायित्व वाले काम के लिये उपयुक्त हैं ?

(15) इन्होंने कौन-कौन-से पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप आयोजित किया या उनमें भाग लिया ?

(16) प्रोन्नति के लिये इनकी सिफारिश की जाती है या नहीं (यह बात उनके नैतिक चरित्र, शारीरिक उपयुक्तता और कार्यनिष्ठा विषयक संक्षिप्त टिप्पणी द्वारा समर्पित होनी चाहिए)।

(17) कोई अन्य अभ्युक्ति। ... ...